

फैक्ट सीट

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड भैंसियाछाना के अन्तर्गत सल्ला-भाटकोट से सूकना सल्यूणी तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण (लम्बाई 5.500 किमी)

2—प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल है (हेक्टर में)—

| | |
|--------------------------|----------|
| सिविल एवं सोयम वन भूमि — | 3.582 है |
| वन पंचायत— | 0.198 है |
| योग:- | 3.780 है |

3—प्रस्तावक विभाग का नाम—

निर्माण खण्ड, लोनिविओ अल्मोड़ा

4—वन प्रभाग का नाम—

सिविल एवं सोयम, वन प्रभाग, अल्मोड़ा

5—प्रस्ताव बांडिंग किया गया है—

हॉ / नहीं

6—प्रस्ताव में विषय सूची भरी गयी है—

हॉ / नहीं

7—क्या भारत सरकार के प्रारूप भाग -1,2 व 3

हॉ / नहीं

के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गयी है—

8—क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनाक

व स्थान भरा गया है—

9—प्रस्तावित क्षेत्र की हरीहाली का घनत्व दर्शाया गया है—

हॉ / नहीं

10—प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची /

हॉ / नहीं

प्रमाण प्रत्र संलग्न है—

11—बांज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में संबंधित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण

प्रमाण पत्र संलग्न है।

12—प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया— प्रस्तावित समरेखन के अतिरिक्त एक अन्य वैकल्पिक समरेखन पर विचार किया गया। इस समरेखन में02.....बैण्डों की संख्या अधिक आ रही थी। यह वृक्ष 9मी0 चौड़ाई में लिए गये हैं। वृक्षों की संख्या न्यूनतम एवं अपरिहार्य है जिनका कम किया जाना सम्भव नहीं है।

13—समरेखन में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वार्षिक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है।

हॉ / नहीं

14—क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है

हॉ / नहीं

15—क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है।

हॉ / नहीं

16—क्या मानन्त्रित में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है।

हॉ / नहीं

17—प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर परियोजना के आस—पास स्थित पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है

हॉ / नहीं

18—क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है

हॉ / नहीं

19—प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है

हॉ / नहीं

20—क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है।

हॉ / नहीं

21—प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है—(यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्ण में जारी भारत सरकार की प्रति संलग्न करें।)

22—क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि में अलग—2 रंगों से भरा गया है—

हॉ / नहीं

23—यदि सड़क का आरभिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है—

हॉ / नहीं

24—क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ है—

हॉ / नहीं

25—यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुए दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय।

उल्लंघन नहीं हुआ है।

26—सड़क निर्माण हेतु तलाशी की गयी अन्य सम्भावनाएं / वैकल्पिक समरेखन मानचित्र पर दर्शाये गये हैं—

हॉ / नहीं

27—वैकल्पिक समरेखनों को निरस्त करने का कारण (विस्तृत नोट संलग्न किया जाय)

प्रमाण—पत्र संलग्न है।

28—लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है (5हे0 से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा)

प्रकरण 5 हे0 से कम का है

29—मानचित्र व बारचार्ट में एकरूपता है—

हॉ / नहीं

30—मलुवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है—
अथवा

हॉ / नहीं

मलुवे के निस्तारण के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न है—

हॉ / नहीं

31—राज्य सरकार द्वारा लगायी जाने वाली शर्तों को प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है— हॉ / नहीं

32—क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण पत्र की फोटोप्रतियों मूल में संलग्न है, यदि छायाप्रतियां संलग्न की गयी हैं तो क्या वे सत्यापित हैं
हॉ/नहीं

33—यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न है—
प्रकरण निशुल्क हस्तान्तरण का है
हॉ/नहीं

34—वित्तीय /प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है—
हॉ/नहीं

35—क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है
हॉ/नहीं

36—क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण पत्र संलग्न है
हॉ/नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैक्ट शीट एंव चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है समर्त प्रमाण /पत्र सूचना संलग्न कर दी गयी है।

हस्ताक्षर

सहायक अधिकारी
निमिण खण्ड, लो० नि० वि०
लल्लौडा

अधिकारी अधिकारी, प्रस्तावक विभाग /प्रभागीय वनाधिकारी
निमिण खण्ड, लो० नि० वि०
लल्लौडा

वन क्षेत्र अधिकारी
कनारीझीना वन क्षेत्र
खिविल एवं सोयम वन प्रभाग
लल्लौडा

४०५०